



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53986

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6199/2026

श्रीमती सुशीला पांडे

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कृष्ण कांत सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से स्वयं को व्यथित महसूस करता है, तो उसे इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत की मांग के साथ दायर की गई है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"1. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह बहाली के आवेदन संख्या टी202502030410488 (संलग्नक संख्या 5) का निस्तारण करे; तथा मूल वाद संख्या टी201902030401823 को बहाल करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बहाली की अनुमति दिए जाने के उपरांत, 3 से 4 माह के भीतर यथाशीघ्र निर्णय ले, क्योंकि इस मामले में 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है।"

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय अधिकारी (न्यायिक), तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज, उपर्युक्त वाद/मुकदमे का निर्णय पूर्णतः विधि के अनुरूप, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः विचारण न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करे; किंतु ऐसा करते समय, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

16 मार्च, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”